राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2796

17 दिसम्बर, 2014 को उत्तर के लिए

इस्पात उद्योग में कच्चे माल की कमी

2796. श्री राजकुमार धूत:

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि इस्पात उद्योग कानूनी रुकावटों और केन्द्र तथा राज्य की उदासीन नीतियों के कारण लौह अयस्क की भारी कमी के कारण कच्चे माल की भारी कमी का सामना कर रहा है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ग) सरकार इस मामले में क्या उपचारात्मक उपाय करने का विचार रखती है?

उत्तर

इस्पात और खान राज्य मंत्री **श्री विष्णु देव साय**

(क) और (ख) : जी नहीं, देश में लौह अयस्क की समग्र रूप से कोई कमी नहीं है। कानूनी और विनियामक मुद्दों के कारण कर्नाटक, ओडिशा और झारखण्ड जैसे राज्यों में लौह अयस्क की क्षेत्रीय कमियां हुई हैं। तथापि, देश में लौह अयस्क का उत्पादन घरेलू इस्पात उद्योग की आवश्यकता से अधिक है। गत तीन वर्षों के दौरान लौह अयस्क का उत्पादन और इसकी खपत के ब्यौरे नीचे तालिका में दिए गए है:-

(मिलियन टन में)

वर्ष	लौह अयस्क का उत्पादन	घरेलू खपत
2011 -12	168.58 (आर)	100.57
2012 -13 (पी)	136.61	103.40
2013 -14 (पी)	152.43	110.50 (ई)

स्रोत : भारतीय खान ब्यूरो, खान मंत्रालय ; (पी)- अनंतिम ; (ई)- अनुमानित (आर)- संशोधित)

(ग) : लोहा और इस्पात एक नियंत्रणमुक्त क्षेत्र है। नियंत्रणमुक्त क्षेत्र में सरकार की भूमिका एक सुविधादाता के रूप में होती है। घरेलू इस्पात क्षेत्र में लौह अयस्क की पर्याप्त उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए लौह अयस्क के निर्यात को हतोत्साहित करने हेतु सरकार द्वारा लौह अयस्क पर यथामूल्य 30 प्रतिशत निर्यात शुल्क लगाकर और लौह अयस्क पैलेटों पर यथामूल्य 5 प्रतिशत निर्यात शुल्क लगाकर वित्तीय उपाय किए गए हैं।

*****